न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारीः— पुष्कर कुमार मित्तल, आर0ए0एस0

दावा सं.:—90/2017

1. राजेन्द्रसिंह
2. रसालसिंह
3. सुरेन्द्रसिंह

पुत्रगण स्व0 श्री सम्पतसिंह जाति जाट निवासी नगला तेजसिंह तह0 व जिला भरतपुर

.....वादीगण

बनाम

1. श्यामसिंह पुत्र स्व0 चरनसिंह जाति जाट
2. यदुवीरसिंह
3. बृजभानसिंह
4. चन्द्रभानसिंह
5. वीरेन्द्रसिंह

पुत्रगण स्व0 गनपतसिंह जाति जाट

6. सुरजीतसिंह पुत्र स्व0 श्री मौहरसिंह
7. सौमौतीदेवी पत्नी स्व0 श्री मौहरसिंह
8. कृपालसिंह पुत्र स्व0 गिर्राजसिंह जाति जाट निवासी नगला तेजसिंह तहसील व जिला भरतपुर ।
9. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार साहब (भूमि धारक) भरतपुर।
10. सिचाई विभाग राजस्थान सरकार द्वारा अधीक्षण अभियन्ता भरतपुर।

.....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88—89—188 राज0 काश्तकारी अधिनियम,1955

निर्णय

दिनांकः—30.04.2018

वादीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अर्न्तगत धारा 88, 89 ,53, व 188 आर.टी.ए. विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया। वादीगण व प्रतिवादीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैः—

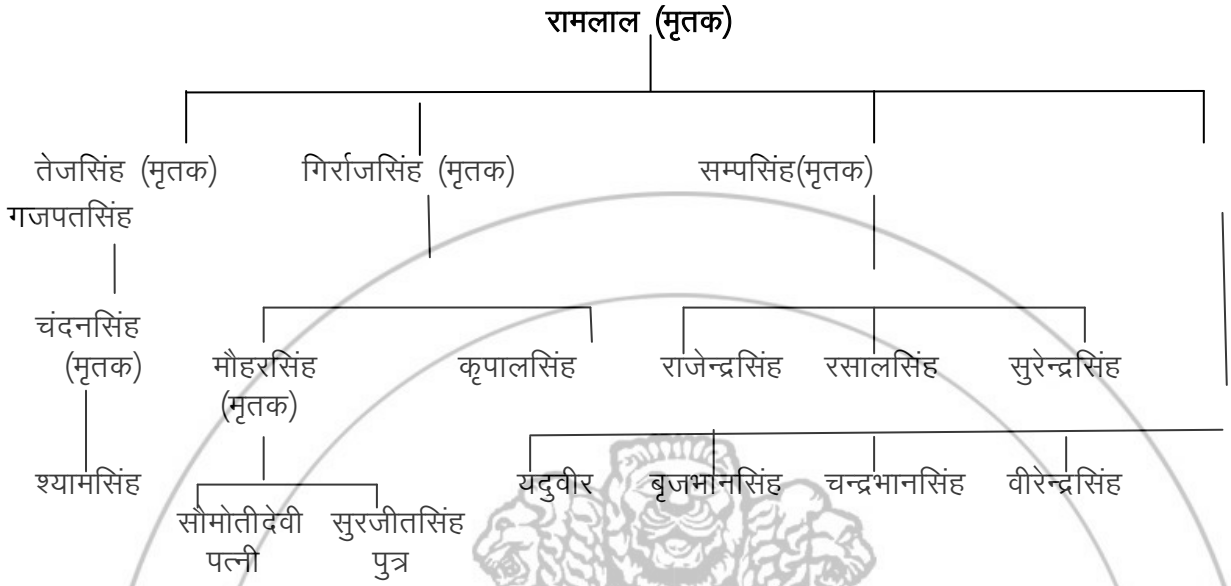

उपरोक्त में तेजसिंह, गिर्राजसिंह, सम्पतसिंह व गजपतसिंह का निधन हो चुका है चंदनसिंह व मौहरसिंह का भी देहान्त हो चुका है। वादीगण व प्रतिवादीगण उनके वारिसान है। वाके ग्राम भवनपुरा पटवार मण्डल जघीना न0 4 तहसील भरतपुर स्थित खसरा नम्बरान 10144/0.25, 10146/0.89, 10147/0.61, 10320/0.17, 10322/0.19, 10299/0.33, 10300/0.22, 10305/0.19, 10306/0.08, 10155/0.14, 10301/0.16, 10302/0.09, 10324/0.31, 10325/0.29, 10326/0.35, 10327/0.37, 10297/0.39, 10298/0.19, 10308/0.16, 10309/0.35, 10141/0.57, 10145/0.29, 10142/0.38, 10143/0.76, 10153/0.27, 10321/0.19, 10152/0.41, 10150/0.27, 10304/0.14, 10307/0.26, 10310/0.11, 10311/0.29, 10315/0.32, 10316/0.13, 10317/0.20, 10149/0.89, 10153/0.27, 10148/0.42, 10151/0.51, 10312/0.23, 10313/0.23, 10314/0.21, 10319/0.25, 10318/0.24 के खातेदार काश्तकार काबिज है। आराजी खसरा नम्बरान 10154/0.16, 10184/13.41, 10222/0.66, 10233/0.13, 10224/0.14, 10227/0.12 10228/0.06, 10303/0.22, 10345/2.59, 10455/0.71, 10463/0.30, 10464/0.29, 10465/2.27 सिचाई विभाग में नहर नकिल जाने के कारण चले गये है।

उक्त आराजी खसरा नम्बरान को भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गत खसरा नम्बरान 4922/1–11, 5404/ 5004/1–16, 5005/2–01, 5016/7–2, 5017/0–10, 5018/1–0, 5019/0–14, 5020/1–1, 5022/1–10, 5023/0–17, 5024/0–1, 5025/2–4, 2026/1–00, 5027/2–4, 5028/1–11, 5029/2–3, 5030/1–16, 2031/0–14, 5032/1–9, 5033/0–16, 5034/0–14, 5035/0–13, 5036/0–16, 5037/0–18, 5038/0–14, 5039/1–6, 5040/0–7, 5041/0–7, 5042/0–13, 5043/1–3, 5044/1–7, 5045/1–3, 5046/1–9, 5047/2–5, 5048/1–15, 5049/3–8, 5050/2–00, 5051/1–6, 5052/0–19, 5054/2–4, 5055/0–14, 5056/1–11, 5060/0–15, 5061/1–6, 5062/1–14, 5063/1–10, 5064/0–18, 5065/1–1, 5066/1–6, 5067/1–12, 5068/1–2, 5069/1–1, 5070/1–6, 5071/1–2, 5072/1–3, 5077/1–2, 5078/1–18, 5079/1–18, 5080/1–4, 5081/1–81, 5082/1–2, 5083/1–00, 5084/0–17, 5090/0–12, 5091/1–5, 5092/0–2, किता 66 रकवा 85 वीघा 15 विस्वा से निर्मित किया है गत खसरा नम्बरान को वादीगण एवं

प्रतिवादीगण के पूर्वज तेजसिंह गिर्राजसिंह, सम्पतसिंह व गजपतसिंह ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24.12.1945 के समभाग प्रत्येक में क्रय किया है।

विवादित आराजी में वादीगण 1/4 हिस्सा के प्रतिवादी सं. 1, 1/4 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 2 से 5 समभाग प्रत्येक 1/4 हिस्सा के प्रतिवादीगण संख्या 6 से 8 समभाग प्रत्येक 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार काबिज है तथा शामिल शरीक होकर मनवट से काबिल होकर काश्त करते चले आ रहे है।

विवादित आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच बाई मीटस एण्ड बाण्उड सरकारी तौर पर विभाजन नही हुआ है तथा कम अधिक भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम पृथक –पृथक इन्द्राज खातेदारी हो रही है जो कतई गलत है समस्त हिस्सो की खातेदारी नही है इन गलत इन्द्राज खातेदारी से प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर अपने हिस्से से अधिक भूमि पर काबिज होना चाहते है तथा उनके नाम अधिक आराजी को सम्मलित भूमि होना नही मान रहे है तथा वादीगण के हिस्सा से इनकार हो रहे है। दिनांक 01.08.2017 को प्रतिवादीगण ने खुलेआम कहा है कि हमारे नाम अधिक भूमि पृथक पृथक से खातेदारी में दर्ज है हम उसे अपनी ही भूमि मानते है। तथा इस आराजी में वादीगण का कोई हिस्सा नहीं है। प्रतिवादीगण की इस इन्कारी से वादीगण के हिस्से की आराजी पर कुठाराघात पहॅूचता है अधिकार समुचित होते है इसलिए वादीगण यह घोषणा कराने के अधिकारी है कि वादग्रस्त आराजी के वादीगण व प्रतिवादीगण वर्णित हिस्से के अनुसार हिस्सेदार काबिज काश्तकार है वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम जो पृथक पृथक इन्द्राज खातेदारी हो रहे है वो गलत है निरस्तनीय है।

विवादित आराजी की अब कीमत ज्यादा बढ गई है तथा अच्छी अच्छी भूमि को प्रतिवादीगण ने अपने निकरावर हिस्से में दर्ज करा रखा है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण काबिज होना चाहते है तथा आराजी का मनमाने ढंग से हस्तांतरण करना चाहते है ऐसी अवस्था में जब वादीगण ने दिनांक 01.08.2017 को ही प्रतिवादीगण से विवादित आराजी को अपने हिस्से के अनुसार विधिवत रूप से बाई मीटस एण्ड बाउण्ड विभाजन कराने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने कतई तौर पर इन्कार कर दिया है तथा उनके हिस्से से वादीगण को आराजी से बेदखल करने की धमकी दे डाली है इस प्रकार प्रतिवादीगण के कृत्य से विवादित आराजी पर विभाजन उनकी सहमति से होना संभव नही है।

प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 8 ने खुलेआम दिनांक 01.08.2017 को ही वादीगण को धमकी देकर कहा है कि अब हम प्रतिवादीगण अपने नाम अधिक आराजी पर और अच्छी अच्छी भूमि पर जबरन कब्जा करेगे तथा आराजी मुतनाजा को बेदखल करेगे तथा आराजी मुतनाजा को अन्यत्र मनमर्जी हस्तांतरण करेगे। अगर प्रतिवादीगण इस धमकी में सफल हो गये तो वादीगण को ऐसी हानि होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी नकद धनराशि से नही हो सकेगी। आराजी खसरा नम्बर 10154/0.16, 10184/13.41, 10222/0.66, 10223/0.13, 10224/0.14, 10227/0.12, 10228/0.06, 10303/0.22, 10345/2.59, 10455/0.71, 10463/0.30, 10464/0.29, 10465/2.27 में होकर सिचाई विभाग की नहर निकल जाने से उनके खाते में चले गये है इसलिए सिचाई विभाग को पक्षकार बनाया जा रहा है उसके विरूद्ध कोई अनुतोष वादीगण ने नही चाहा है।

इस प्रकार वादीगण ने निवेदन किया है कि यह घोषित किया जावें कि विवादित आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 की सम्मलित सहखातेदारी की आराजी है, जिस पर वर्णित हिस्सों के अनुसार आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण काबिज कास्तकार है। इसी प्रकार हिस्सों की घोषणा कराने के अधिकारी है तथा वर्तमान में दर्ज हिस्सों को निरस्त करा कर दावा में वार्णित हिस्से अनुसार खातेदारी के अधिकारों की घोषणा कराने व राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है। हिस्से अनुसार ही विधिवत रूप से विभाजन कराया जाकर पृथक पृथक कुर्रे बनाये जाकर उन पर पृथक पृथक लगान व खाता कायम किये जावें। वादीगण ने अपने दावा के समर्थ में नकल जमाबंदी हाल सवंत् 2068–2071,

नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबंदी सवंत् 2009, नकल नक्सा, नकल बयनामा पेश किया।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। दिनांक 27.09.2017 को प्रतिवादी सं. 1,3,4,6,7,8 जरिये अभिभाषक उपस्थित हुए और अपना इकवाल दावा पेश किया। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 2,5 की तरफ से भी दिनांक 17.11.2017 को इकवाल दावा पेश कर दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। प्रतिवादी सं. 10 सिंचाई विभाग की ओर से सहायक अभियन्ता उपस्थित हुए । इन्होने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम भवनपुरा पटवार हल्का जधीना न. 4 जमाबंदी सं. 2068–2071 के खं.नं. 10154, 10184, 10222, 10223, 10224, 10227, 10228, 10303, 10323, 10455, 10463, 10464, 10465, सिंचाई विभाग के नाम दर्ज है। इन खसरा नम्बरों पर वादी का कोई अनुतोष नहीं है, इसलिए विभाग का कोई विरोध नहीं है। प्रतिवादी सं. 9 बाबजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात् पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई । दिनांक 10.04.2018 को साक्ष्य वादी में गवाह सुरेन्द्र सिंह का शपथ पत्र पेश हुआ। अन्य साक्ष्य पेश न होने पर साक्ष्य वादी बंद की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई।

पत्रावली पर वादीगण के अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तातेजात का गहनता से अध्ययन किया। विवेचन निम्न प्रकार हैः–

वादीगण के निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण 1/4 हिस्सा के, प्रतिवादी सं. 1, 1/4 हिस्सा का, प्रतिवादी सं. 2 लगायत 5 समभाग प्रत्येक 1/4 हिस्सा के प्रतिवादी सं. 6 से 8 समभाग प्रत्येक 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार काबिज हैं तथा शामिल शरीक होकर मनवट से काबिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजी का उभयपक्ष के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है तथा कम अधिक भूमि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम पृथक–पृथक खातेदारी हो रहीी है, समस्त हिस्सों की नहीं।

अतः उपरोक्त अनुसार ही वादग्रस्त आराजी का हिस्सानुसार खातेदार काश्तकर घोषित किया जावे और इसी अनुरूप विधिवत रूप से विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक कुरे बनाये जाकर पृथक–पृथक लगान व खाता कायम किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2068–2071 के अनुसार खं. नं. 10153, 10150, 10304, 10307,10310,10311, 10315, 10316, 10317, 10144, 10147, 10320, 10322, 10297, 10309, 10298, 10299, 10300, 10305, 10306, 10155, 10301, 10302, 10324, 10325, 10326, 10327, 10308, 10141, 10145, 10142, 10143, 10153, 10321, 10152, 10178, 10183, 9999, 10000, 10001, 10009, 10010, 10047, 10048, 10049, 10050, 10061, 10062, 10063, 10064, 10065, 10066, 10067, 10068, 10077, 10078, 10079, 10080, 10081, 10081/10493, 10082, 10083, 10084, 10085 में वादीगण का किसी भी हिस्से के रूप में राईट्स ऑफ रिकार्ड में इन्द्राज नहीं है। ये खसरा नम्बर प्रतिवादीगण व अन्य खाजेदारों के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्ड विभाग तो सह खातेदारों के मध्य ही होता है। इसी प्रकार जो खसरा नम्बर केवल वादीगण के नाम दर्ज है। उनमें अन्य किसी खातेदार काश्तकार का नाम नहीं है। वाद ग्रस्त आरजी खसरा नम्बरान उभयपक्ष की संयुक्त आराजी नहीं है। आराजी के उभयपक्षकारान सहखातेदार काश्तकार नहीं होने से विभाजन किया जाना संभव नही है। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य हुए इकबाल मुद्रांक करापवंचन की संज्ञा में आते हैं। प्रकरण में सीधे सीधे राजस्व हानि एवं स्टाम्प चोरी प्रतीत होती है। वादीगण अपने दावा को स्वच्छ हाथों से न्यायालय में लेकर नही आए है। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण खारिज किये जाने योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः आज्ञा है कि

दावा वादीगण खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 30.04.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
आर.ए.एस.
सहायक कलैक्टर ,भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official